





ललित गगे ।

विपक्ष बात-बात पर तू-तू मैं-मैं करते हुए बात का बत्तगड़ बनाकर देश का भारी नुकसान कर रहा है। संसद को चलने नहीं दे रहा है, आधे-आधे बयान के हिस्से को प्रचारित कर घटिया एवं सरती राजनीति करते हुए देश को गुमराह कर रही है। बेबुनियाद एवं भ्रामक मुँहों को उछाल कैसे गुल खिलाये, कैसे देश को अंगरों में धक्केला जाये, इसी फिराक में कोण्ठस एवं सम्मान विपक्ष दिनरात लगा है, इसका प्रमाण है गत दिवस संसद

# सम्पादकीय

**न नेशन, बन इलेक्शन से विकास की नई  
उंगाइयों को हासिल करेगा देश**

सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि हमेशा चलने वाले चुनावों पर विराम लग जाएगा। सरकारों का ध्यान विकास कार्यों की ओर होगा। आचार संहिता की वजह से विकास कार्य ठप्प नहीं होंगे। और सबसे ऊपर हर बार चुनाव में होने वाले बैहिसाब खर्चों पर लगाम लागेगी। चुनाव आयोग से लेकर राजनीतिक दलों का चुनावों पर बैहिसाब खर्च होता है। एक साथ चुनाव से इन खर्चों में कटौती होगी। सुरक्षा बलों को भी लगातार इस राज्य से उस राज्य तक यात्रा करनी पड़ती है। आम लोगों का ध्यान भी चुनाव पर लगा रहता है। यह सब कुछ एक निर्णय से बदल जाएगा।

देश सचमुच बदल रहा है। न सिर्फ बदल रहा है, बल्कि शक्तिशाली हो रहा है। लोकतंत्र सशक्त हो रहा है। वैशिख स्तर पर देश का मान बढ़ रहा है। देश में आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता आई है। अभी जिस समय देश संविधान अंगीकार करने के 75 साल पूरे होने का उत्सव मना रहा है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक और ऐतिहासिक निर्णय किया है। केंद्रीय मन्त्रिमंडल ने एक देश, एक चुनाव ये किए बनाए गए दो विद्येयक को मंजूरी दे दी है। संसद के शीतकालीन सत्र में इसके लिए सरकार दो विद्येयक पेश करेगी। इनके जरिए संविधान के अनुच्छेद 82ए, 83, 172 और 327 में संशोधन का प्रस्ताव रखा जाएगा। इससे लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने और लोकसभा व सभी विधानसभाओं के कार्यकाल से जुड़े जरूरी बदलाव किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने इससे पहले सिंतंबर में पूर्ण राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट मंजूर कर ली थी, जिसकी सिफारिशों के आधार पर ये विद्येयक तैयार किए गए हैं।

श्री रामनाथ कोविद की अध्यक्षता वाली समिति ने सभी संबंधित पात्रों के साथ विचार विर्माण की था। उनकी समिति के सामने अनेक विपक्षी पार्टियों ने सारे चुनाव एक साथ

कराने के प्रस्ताव का विरेख किया था, लेकिन ज्यादातर पार्टीयां इस विचार के समर्थन में थीं। चुनाव आयेगा और आम लोगों से भी समिति ने राय ली थी। इसके बावजूद सरकार अपने संघृत बहुमत के दम पर एकत्रण की तरीके से इन विधेयकों को नहीं पास कराने जा रही है। सरकार इस मामले में आम राय बनाने का प्रयास कर रही है। इसलिए संविधान संशोधन के विधेयक पेश करने के बाद उसे संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेजा जा सकता है जहां सभी पार्टीयों के सांसद इस पर विचार करेंगे। यह समिति सभी संघृत त पक्षों से सलाह मशविरा करेंगी और आम लोगों की राय भी लेंगी। उसके बाद सहमति बना कर इसे पास कराया जाएगा। वैसे सरकार जब चाहती तब इसे पास करा सकती थी वर्तेंकि ये साधारण संशोधन हैं जिनके लिए संसद में साधारण बहुमत की जरूरत है और राज्यों की विधानसभा से मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी सरकार आम सहमति का रास्ता अपनाएगी जिस समय श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी तभी से इसे लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। विष्णु पूछ रहा है कि इसका क्रियान्वयन कैसे होगा? अगर 2029 के लोकसभा चुनाव के साथ सभी राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव कराने हैं तो अगले चार साल में होने वाले विधानसभा चुनावों का क्या होगा? यह भी पूछा जा रहा है कि अगर लोकसभा और सभी विधानसभाओं का कार्यकाल तय कर दिया जाएगा तो बीच में सरकार ने बहुमत गंवाया या सरकार गिरी तब क्या होगा? क्या वहां राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा और अगले लोकसभा चुनाव के साथ ही वहां चुनाव होगा? वैसे इन सभी सवालों का जवाब सरकार की ओर से प्रस्तावित विधेयक में मिल जाएगा। परंतु अगर राजनीतिक पूर्णाघट छोड़ दें तो इन सवालों के जवाब बहुत मुश्किल नहीं हैं। कुछ विधानसभाओं के कार्यकाल बदल कर और कुछ के कार्यकाल घटा कर सभी विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा के साथ कराए जा सकते हैं जहां तक बीच में सरकार गिरने का सवाल है तो पिछले काफी समय से मध्यावधि चुनाव का चलन समाप्त हो गया है। पिछले एक दशक से ज्यादा समय से दिल्ली के एक अपवाद को छोड़ दें तो किसी राज्य में मध्यावधि चुनाव की नौबत नहीं आई है।



સાચે હિંદુ

कमलश था ड |  
वहीं, कभी कांग्रेस और कभी भाजपा के बच्चें वाली संसद मजबूत कानूनों को पूँजीपतियों के लिहाज से कमजोर करती रही, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, परिवहन आदि के क्षेत्रों में व्याप्त अराजकता बढ़ती चली गई। यह आज भी जरी है। फशन हो गया ह। इतना नाम भगवान का लेते तो सात जन्मों के लिए स्वर्ग मिल जाता। बकौल शाह, आंबेडकर-आंबेडकर कथों कह रहे हो? आप अगर भगवान-भगवान कहेंगे तो 7 पीढ़ियां आपकी स्वर्ग में जाएंगी। ऐसी बस इसी ब्यान को लेकर प्रमरण विपक्षी

बढ़ता था। यह आज मा जारा हा।  
लीजिए, हमारे विषयी नेताओं को  
एक और अपमानजनक मुद्दा मिल गया,  
ताकि संसद की जनहितकारी कार्यवाही  
को बाधित कर दिया जाए और सड़क से  
संसद तक हंगामा खड़ा करके लोगों को  
गोलबंद किया जाए। इससे मिशन आम  
बस इसा ब्यान का लकर प्रभुख विद्वा।  
पार्टी कांग्रेस के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष  
राहुल गांधी ने और राज्यसभा में नेता  
प्रतिपक्ष व कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन  
खड्डे ने गृहमंत्री अमित शाह और बीजपी  
का विरोध करना शुरू कर दिया है।

इस प्रकार विवेक जाइ इत्तमनि नाम जाने चुनाव 2029 की विपक्षी राह आसान हो जाएगी। बताया जाता है कि एक संसदीय चर्चा के दौरान संसद में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने यह कह दिया है कि आजकल ओबेलकर का नाम लेना सियासी समर्थन-विरोध और बचाव की सियासत के बीच संसद में धक्कामुक्की तक की नौबत आई गई और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी व उनके साथियों के विरुद्ध भाजपा नेताओं द्वारा एफआईआर

# निरस्तेज विपक्ष देश को कब तक अधिरो मे धकेलेगा?

बाबा साहेब आबेडकर  
 पर मडियाली आसू  
 वहाने गाला विपद्धा एवं  
 विशेषतः काग्रेस यह  
 मूल स्त्री है कि  
 आबेडकर का  
 सर्वाधिक अपमान एवं  
 उपेद्धा इन्हीं दलों ने की  
 है। पहले प्रधानमंत्री  
 जवाहरलाल नेहरू  
 आबेडकर को पसन्द  
 नहीं करते थे।

**बाबा साहेब आवेदकर  
पर घडियाली आंसू  
बहाने वाला विपद्धा एवं  
विशेषतः काग्रेस यह  
भूल रही है कि  
आवेदकर का  
सर्वाधिक अपमान एवं  
उपेद्धा इन्हीं दलों ने की  
है। पहले प्रधानमंत्री  
जवाहरलाल नेहरू  
आवेदकर को पसन्द  
नहीं करते थे।**

द्वान्तों एवं मूर्खों को राजनीति का अहम स्सा बनाया है। विष्णु डग हुआ है कि जपा आंडेकर को आजादी के बाद प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह के बाद उचित स्थान कर दलित समुदाय के हितोंकी वास्तविकता की है जिससे दलित वोट भाजपा के में जाता हुआ दिख रहा है। इसलिये ह के बयान को तोड़-मरेड एवं आधारभूत प्रस्तुत कर बेवजह का हंगामा रने पर तुले विष्णु एवं उनके नेताओंने जो था जैसे तर्क दिए हैं वे विचित्र ही नहीं, स्यास्पद भी हैं। बाबा साहेब आंडेकर पर डेयाली आंसू बहाने वाला विष्णु एवं विशेषतः एमेस यह भूल रही है कि आंडेकर का विधिक अपमान एवं उपेक्षा इन्हीं दलों ने नहीं है। पहले प्रधानमंत्री जवाहललाल नेहरू

बेडकर को पसन्द नहीं करते थे। क्योंकि बेडकर मुस्लिम त्रुट्टिकरण की कांप्रेस तिंति से नाखुश थे। उनका मत था कि वे के आधार पर देश का विभाजन हुआ है, तो सभी मुस्लिम को भारत छोड़ देना हिंदू है? गांधी और नेहरू ने इस विचारधारा का विरोध किया? गांधी तो विरोध में भूख झाला पर बैठ गए? बाबा साहेब ने गांधी समझौता कर संविधान को मुस्लिम के निपुण झापट कर दिया? फिर भी नेहरू बाबा साहेब के विरुद्ध लगातार लगे रहे। तांत्रिक तक आंबेडकर के चुनाव लड़ने पर नेहरू ने उनके खिलाफ कांप्रेस प्रत्याशी खड़ा कर उन्हें हरवा दिया? विडम्बना देखिये कि आंबेडकर के सचिव नारायण सदोबा ने अपरोक्षरूप कर जोरोलकर को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। कांप्रेस ने न केवल दो बार उन्हें चुनाव में हराया बल्कि केंद्र सरकार में नकीं घोर उपेक्षा लगातार जारी रखी। मंत्री से नाराज होकर आंबेडकर ने मंत्री से इस्तिफा देते हुए नेहरू पर गंभीर आरोप लगाये। इतना ही नहीं आंबेडकर ने अपने के बनाये संविधान को जला देने की जिम्मेदारी भी इस्सलिये कही थी कि संविधान का विवालन गलत हाथों में है। इतिहास की एक त्रासद एवं विसंगतिपूर्ण स्थितियों के बजूद आखिर कांप्रेस किस आधार पर बेडकर की तर्फ़ीरें लेकर संसद परिसर में विरोध कर रही है। अपने आरोप को पुष्ट करने के लिए विपक्ष और विशेष रूप से कांप्रेस नेता गृह मंत्री के बयान के एक विस्तर से को तो प्रचारित कर रहे हैं लेकिन विस्तर के असके थें हिस्से को सुनने के लिए तैयार नहीं।

जेसमें उहमें कहा था कि डा. अबेंडकर कानाम लेने वालोंने किस तरह उनके विचारोंवाले खेलाफ काम किया और उन्हें अपमानित करने में भी सक्रिय नहीं किया। लगता है कि कॉमेडी कॉमेडी को यही नागवार गुजरा और इस्के कारण वह संसद के भीतर—बाहर इस मामले को तूल देने में जुट्ट गई। इसे तूल देने के लिए उसका नेताओंकी ओर से संसद के दोनों सदनों पर आज भी हांगामा बरपाया कि दोनों दलों वाले संसदीय विधायिकाओं ने अपनी विधायिकाओंकी विधायिकाओं ने एक संसद को घक्का दिया, जो मैंने अपर गिरे। आरोप पर जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हाँ! ऐसा हुआ। वे हमें प्रवेश द्वारा न पर रोकने की कोशिश रहे थे। ये तर्क एवं विवाद संसद स्थितियां संसदीय गरिमा को धुंधलाने वाली हैं। कांग्रेस के तर्कों का स्तर न केवल राजनीतिक विमर्श का गिरावंत वाला ही नहीं, बल्कि यह बताने वाले भी नहीं हैं कि नेतागण किस तरह तिल का ताज़ा बनाने में माहिर हो गए हैं। कांग्रेस भाजपा के बारे में तथ्यहीन एवं भ्रामक अफावाही फैला रही है। कांग्रेस नेहरू से लेकर ननमोहन सिंह तक गरीब और बेरोजगारी का गीत गाते रहे हैं, लेकिन उनके शासनकाल में न तो गरीब खत्म हुए और न बेरोजगारी? नीयत में खोट और अनुभवहीनता का जब सत्ता प्राप्ति वाले संदर्भ में समन्वय हो जाता है, तो ऐसे दिवायस्पद स्थितियां निर्मित हो जाती हैं जो भारत की राजनीति में इस समय यहीं

स्थिति बन गई है राजनीतिक बहस का स्तर इतना छिछलादार, स्तरहीन एवं बेबुनियाद नहीं होना चाहिए। झूठ को जोर-जोर से चिल्लाकर कहने से वह सच नहीं हो जाता। यह अच्छा हुआ कि गृह मंत्री ने अपने बयान पर कोई सफाई देने के बजाय दो टूक यह कहना उचित समझा कि उनके पूरे वक्तव्य को सुना जाए। वैसे यह तय है कि विपक्षी नेता ऐसा नहीं करने वाले, क्योंकि उन्हें यही साबित करना है कि आंबेडकरजी का अपमान हो गया, संविधान खतरे में आ गया इसलिये गृहमंत्री को अपने पद से इस्तिफा दे देना चाहिए। आखिर इसे मूर्खतापूर्ण राजनीति न कहा जाए तो क्या कहा जाए? इस पर हैरानी नहीं कि राहुल गांधी को फिर से यह नजर आने लगा कि मोदी सरकार संविधान बदलने जा रही है। कांग्रेस नेता गृह मंत्री के बयान को लेकर आसमान सिर पर उठाने के लिए ख्वतंत्र हैं लेकिन वे इस सच को नहीं छिपा सकते कि उनके शासनकाल में डा. आंबेडकर की किस तरह उपेक्षा और अनदेखी की गई। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि जहां जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को तो उनके जीवनकाल में ही भारत रत्न से सम्मानित कर दिया गया, लेकिन आंबेडकरजी को यह सम्मान दशकों बाद 1990 में मिल सका। यहां तक संसद के केन्द्रीय कक्ष में मैतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू एवं इंदिरा गांधी की तस्वीरें तभी लग गयी लेकिन आंबेडकर की तस्वीर वी.पी. सिंह ने प्रधानमंत्री रहते लगायी गयी। क्या कांग्रेस बता सकेगी कि ऐसा क्यों हुआ? क्यों आंबेडकर की लगातार उपेक्षा होती रही? डा. आंबेडकर ने 25 नवंबर, 1949 के अपने ऐतिहासिक भाषण में यह कहा था कि संविधान कितना अच्छा होगा, यह आगे चलकर उसे चलाने वाले सत्ता नेतृत्व की मानसिकता एवं नीतीय पर निर्भर करेंगा। 1975-77 में यह शब्दशः सत्य सिद्ध हुआ, जब पद पर बने रहने की लालसा ने संविधान के साथ अत्याचार करते हुए आपातकाल लागू किया गया, जिसे इतिहास भूलेगा नहीं। लेकिन आज जो संविधान बचाने का शोर सुनाई दे रहा है और जिसकी प्रति संसद से संभल तक लहराई जा रही है, वह देश का ध्यान भटकाने की कोशिश मात्र है, जनता को गुमराह करने की कुपेटा मात्र है। निश्चित ही यह दर्यनीय, विडब्बनापूर्ण एवं त्रासद है कि सत्ता पाने के लिए व्याकुल लोगों की व्यग्रता अब घातक उप्रता के रूप में प्रकट हो रही है। संसद के कार्य संचालन में जैसे व्यवधान डाले जा रहे हैं, वे न तो भारत के संविधान के प्रति कोई आदरभाव प्रकट करते हैं, न ही आंबेडकर के प्रति कोई श्रद्धा प्रकट करते हैं। आज हमारे विपक्ष के पास एक भी ऐसा नेता नहीं है जो इस स्थिति से देश को बाहर निकाल सके, राष्ट्रीय चरित्र को जीवित रखने का भरोसा दिला सके। प्रश्न है कि निराश करने वाला विपक्ष देश को कब तक अंदेरों में धकेलता रहेगा?

# अब उद्धव-राहुल आमने-सामने

एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में देखती है, बल्कि एक स्वाभिमानी नेता और 'हिंदुत्व' के नेता के तौर पर देखती है। शिवसेना, जो मूल रूप से मराठी अस्मिता और हिंदुत्व के सिद्धांतों पर आधारित है, सावरकर का समर्थन करके अपने मराठी और हिंदुत्ववादी आधार को मजबूत बनाए रखना चाहती है। सावरकर के मुद्दे पर बीजेपी और शिवसेना का कांग्रेस के साथ पुराना टकराव रहा है। बीजेपी की तरफ से सावरकर को भारत रत्न देने की पुरानी मांग रही है। वर्ष 2000 में वाजपेयी सरकार ने तत्कालीन राष्ट्रपति केआर नारायणन के पास सावरकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया था। उस समय भी सरकार के कदम का कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था। महाराष्ट्र में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को अच्छी सफलता मिली थी। उद्घव ठाकरे की पार्टी के पास लोकसभा में 9 सांसद हैं। ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन में कोई फूट होती है तो इसका सीधा लाभ बीजेपी और केंद्र सरकार को होगा। महाराष्ट्र में मिली करारी हार के बाद उद्घव ठाकरे भी माराठा राजनीति और हिंदुत्व की तरफ वापसी कर सकते हैं। ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन के लिए जादू आ जाता है तो उद्घव ठाकरे को भारतीय नेता के रूप में अपनी भूमिका बढ़ाव दी जा सकती है।

सीधे तौर पर उद्घव ठाकरे का बयान केंद्र सरकार पर उनके हमले के तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि जब हम इसके तह में पहुंचते हैं कि सावरकर को भारत रत्न की मांग इंडिया गठबंधन के सहयोगी की तरफ से कांग्रेस को असहज करने वाली हो सकती है। दूसरी तरफ शिवसेना का गठन बहुत हद तक हिंदुत्व की विचारधारा पर आधारित है। सावरकर को 'हिंदुत्व' के संरथापक विचारक के रूप में देखा जाता है। शिवसेना अक्सर सावरकर के हिंदुत्व की तुलना भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 'हिंदुत्व' से अलग करती है। शिवसेना महाराष्ट्र की मराठी अस्मिता को अपनी राजनीति का केंद्र मानती है। सावरकर को महाराष्ट्र का गैरव मानती है। जब शिवसेना ने महा विकास आघाडी (एमवीए) गठबंधन में कांग्रेस के साथ सरकार बनाई, तब भी उद्घव ठाकरे ने स्पष्ट किया कि सावरकर पर उनकी पार्टी का रुख कभी नहीं बदलेगा।

कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी ने कई बार यह कहा है कि सावरकर ने अंडमान जेल में रहते हुए ब्रिटिश सरकार से माफी मांगी थी और खुद को रिहा करने का अनुरोध किया था। इसे राहुल गांधी 'वीरता' के विपरीत मानते हैं और इस पर सवाल उठाते हैं। कांग्रेस और कई अन्य पार्टियों का कहना है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सावरकर ने माफी मांगकर ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता किया, जबकि गांधी, नेहरू, भगत सिंह जैसे अन्य नेता जेल में कठोरता से डटे रहे थे। सावरकर पर महात्मा गांधी की हत्या की साजिश का आरोप भी लगा था। हालांकि उन्हें अदालत में बरी कर दिया गया था। राहुल गांधी भाजपा और आरएसएस की विचारधारा का विरोध करते हुए सावरकर के मुद्दे को उठाते हैं।

यह विवाद ऐसे समय हो रहा है जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करने की मांग उठ रही है। लालू यादव, शरद पवार से लेकर संजय राउत ने भी ममता बनर्जी को प्रमुख भूमिका देने की बात कही है। इस बीच ममता बनर्जी ने इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व में बदलाव की चर्चाओं पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने इस पद के लिए उनका समर्थन करने वाले विपक्षी नेताओं को धन्यवाद दिया है। कांग्रेस नेता इससे असहमति जताते हैं। बता दें कि वर्तमान में क । . ग . स अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्षी गठबंधन की अध्यक्षता कर रहे हैं। (हिफी)

# संविधान निर्माता अम्बेडकर के अपमान पर मचे सियासी तूफान के पूँजीवादी एजेडे को ऐसे समझिए

उजोड़ मजबूत हो। बता दें कि इसी को जबूत करते करते लोकजनशक्ति पार्टी संस्थापक स्व. रामविलास पासवान और उनके पुत्र केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जपा की गोद में जा बैठे। वहीं, दम समीकरण की दूसरी प्रबल योगकार समझी गई बसपा नेत्री और यूपी ए पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की सियासी विरोधी आपलोग देख ही रहे हैं, जिनपर जपा की बी टीम होने के आरोप लगते हैं। इसलिए इसी दम समीकरण पर पना दावा मजबूत करते करते कांग्रेस ने गुल खिलाएगी, अभी कहना जल्दबाजी नहीं। क्योंकि इसी समीकरण ने लोकसभा नाव 2024 में उसे 10 वर्षों के सियासी दौरान से मुक्ति दिलाई है। यह बात दीगर कि कांग्रेस के नेता प्रतिष्ठक बनते ही सकी सियासी सौतानों यानी झंडिया गढ़वाल के साथी दलों की नींद उड़ चुकी है। सलिल हरियाणा और महाराष्ट्र में दलितों छिटकते ही विपक्षी आलोचना का द्विन्दु बनी कांग्रेस ने अंबेडकर के अपमान को ऐसा तूल दिया और आक्रामक राजनीति अपनाई कि संसद में धक्कामुक्की के बांड हो गया। इससे राहुल गांधी पुनः विपक्षी नेताओं के हीरो बनते प्रतीत हो रहे हैं और अब उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस ने मुझे से ही दिल्ली और बिहार के विद्यानसभा चुनावों के बाद 2027 में उत्तराखण्ड विधानसभा चुनाव और फिर 2028 में मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों को जीतने की रणनीति बनाएगी। चूंकि इसी बीच कर्नाटक तमिलनाडु गुजरात, पश्चिम बंगाल आदि विधानसभाओं के भी चुनाव इलेक्शन कैलेंडर के मुताबिक होंगे, इसलिए कांग्रेस जातिगत जनगणना के बाद अंबेडकर के अपमान को भी मुख्य मुद्दा बनाएगी जबकि भाजपा भी इन्हीं दोनों मुद्दों पर कांग्रेस के ऊपर तार्किक सवाल उठाती है। आई है राजनीतिक टिप्पणीकारों की बात पर गौर करें तो राष्ट्रपति महात्मा गांधी के प्रथम प्रधानमंत्री जयाहर लाल नेहरू महात्मा गांधी के शहत्यारोपी हिंदूवार्द्ध नेता वीर सावरकर, और अब संविधान निर्माता बाबा साहब डॉ भीमराम अम्बेडकर के ऊपर हुई सियासी टीका-टिप्पणी को नई बात नहीं है, बल्कि नई बात तो यह है कि गांधी-नेहरू का अपमान सहते रहने वाली कांग्रेस ने अंबेडकर के अपमान के सियासी मुद्दा बनाकर एक तीर से दर शिकार कर रही है। पहला तो यह विदलितवादी दलों और ओबीसी की राजनीतिक करने वाले दलों से वह मुझे लपक चुकी है और इसी को धार दे रही भाजपा को जनक उत्तराखण्ड में खड़ा करके अपना सियासी कठघरे में खड़ा करके अपना सियासी

उल्लू सीधा करने की कवायद तेज कर चुकी है। अपने देखा होगा कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राममनोहर लोहिया, वीपी सिंह, लालप्रसाद, मान्यवर कांशीराम, मायावती, रामविलास पासवान, लालकृष्ण आडवाणी, अटलबिहारी बाजपेथी आदि अनगिनत नेताओं के ऊपर सियासी टिप्पणी हुई, लेकिन बात का इतना बत्तंगड़ कभी नहीं बना कभी आजादी, कभी आरक्षण, कभी समता, कभी समरसता, कभी वामपंथ, कभी समाजवाद और कभी राष्ट्रवाद के सवाल पर सियासत हुई। रोटी कपड़ा और मकान के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान की सियासत भी हुई। जय जवान, जय किसान से लेकर जय विज्ञान तक के उदघोष हुए। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास तक की बातें हुई। लेकिन जनता की माली हालत उबुबु करती रही। पिछले तीन दशकों में अमीरी और गरीबी की खाई हर रोज चौड़ी हो रही है। एक और कड़वी सच्चाई यह है कि निर्वाचित नेताओं की आय रॉकेट की गति से बढ़ रही है, पर समतामूलक समाज स्थापित करने के सैवेनिक प्रयत्न नदारत रहे। क्योंकि जब भी सर्वहितकारी कुछ बात शुरू हुई तो दलित, आदिवासी, ओडीसी और अल्पसंख्यकों के सैवानिक अधिकारों को कानूनी ढाल बना दिया गया। कुछ लोगों को आरक्षण दिया गया और उनका समर्थन हासिल करके कहीं पारिवारिक राजनीति को मजबूत किया गया तो कहीं राजकोषीय लूट मचाई गई। सबसे दुर्भायर्थी स्थिति तो यह कि कहीं कोई प्रशासनिक और न्यायिक संतुलन स्थापित करने की कोशिश नहीं की गई। या तो कानून स्वहित के अनुरूप बने या फिर परिधापित किये गए। दुष्प्रभाव सबके सामने है। हिंसा-प्रतिहिंसा और असमानता हमारी नियति बन चुकी है यह कड़वी सियासी सच्चाई हुई है कि सन 1990 के दशक के पूर्वार्ध से देश में लागू झाई आर्थिक नीतियों के दुष्परिणाम स्वरूप भारतीय संसद जनहितकारी मुद्दों से अपना पिंड छुड़ाती हुई प्रतीत हो रही है और सिर्फ पूजीवादी एजेंडों को पूरा करने की गरज से जनमानस के बीच भावनात्मक मुद्दों को हवा दे रही है। इन नीतियों को देश में लागू करने वाली कांग्रेस और फिर बाद में उसकी समर्थक बन चुकी भाजपा (स्वदेशी अंदोलन को भूलकर) ने पूजीवादी राजनीति को इतनी हवा दी कि क्षेत्रीय सियासत ही हाशिए पर आ गई। इसलिए क्षेत्रीय दलों को भाजपा और कांग्रेस के इस सियासी पैंच को समझना चाहिए, लेकिन ये भी इन दोनों दलों के गठबंधन के मोहरे बन चुके हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए कि सियासत के लिए जो जरूरी आर्थिक खाद-पानी चाहिए वे सिर्फ पूजीवादी कम्पनियां ही पूरी कर सकती हैं। आप गौर कीजिए कि 1990 के दशक से शुरू हुए कल्पनी राज के बाद जीवन चर्या कितनी महंगी होती जा रही है।

मानवीय स्वेदनाओं से परे सबकुछ को मौद्रिक पैमाने पर तौलने की बाजार प्रवृत्ति ने खान-पान, दवा-दारू, रहन-सहन से लेकर परिवहन तक को महांगा कर दिया और गुणवत्ता के मामलों में भगवान भरोसे छोड़ दिया।

वहीं, कभी कांग्रेस और कभी भाजपा के बर्चस्व वाली संसद मजबूत कानूनों को पूंजीपतियों के लिहाज से कमजोर करती रही, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, परिवहन आदि के क्षेत्रों में व्याप्त अराजकता बढ़ती चली गई। यह आज भी जारी है। समाज में रुपये के बढ़ते बोलबाला से प्रशासनिक तंत्र और अधिक प्राप्त हो गया। सियासत में ओडीसी, दलित व अल्पसंख्यक शब्दों के बढ़ते बोलबाला से जो जनप्रतिनिधियों की फौज संसद में आई उन्होंने जाने-अनजाने सियासत को प्राप्त कर दिया। आलम यह है कि यथा राजा-तथा प्रजा और यथा प्रजा-तथा राजा का अंतर मिट चुका है। जनप्रतिनिधियों के विशेषाविकार और न्यायादीशों के न्यायिक अवमानना के अधिकारों ने मीडिया के मुँह सील दिए।



